

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी 2018

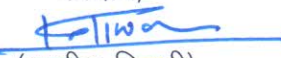
विषय:- लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र दिनांक 12-2-2018 एवं 30-01-2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से की गयी आपत्तियों का निराकरण कर कतिपय सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2433/11सी/एफपीयूपी/ रोड/28804/2017 दिनांक 20-02-2018 एवं 09-2-2018 विषयगत प्रकरण में अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिनांक 12-2-2018 एवं 30-01-2018 को उपलब्ध करायी गयी सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथापरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-483 (1)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी 2018

विषय:- लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

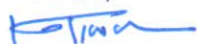
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र 30-01-2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त बिन्दु-9 में भाग-5 की प्रति अपलोड किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण से सम्बंधित भाग-5 की प्रति ऑन अपलोड करते हुये उक्त की प्रति पुनः सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है।
कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथापरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-483 (2)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ , बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

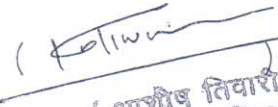
Proposal संख्या-FP/UP/ROAD/28804/ 2017

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3063/ 14-2-2017-800(143)/2017, दिनांक 03-01-2018 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान किया गया।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

03/01/2018

हस्ताक्षर

()
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
वन एवं वन्य जीव विभाग
उ० प्र० कार्यालय।